

प्रपत्र-2
(दो प्रतियों में)
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला दंडाधिकारी को तीन प्रतियों में दिया जायेगा)*

1. (क) मृत व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) :-
(ख) पता - ग्राम पंचायत थाना
अंचल जिला
2. दुर्घटना का विवरण :-
(क) तिथि :-
(ख) समय :- पूर्वाह्न / अपराह्न
(ग) स्थान :-
(घ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला दंडाधिकारी / पंचायत / शहरी निकाय को कब संसूचित किया गया था :-
(ङ) दुर्घटना का विस्तृत ब्योरा :-
(च) मृत्यु की तिथि एवं समय :-
3. मृत्यु प्रमाण-पत्र / पोस्ट - मार्टम रिपोर्ट निर्गत करनेवाले प्राधिकारी का नाम :-

*दावा पत्र की प्राप्ति रसीद दी जायेगी और दावा पत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को आवेदन देने के समय दी जायेगी।